

वनमण्डलाधिकारी/मुख्य वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण के लिये निर्धारित जाँच सूची

-00-

में0 बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड सतना कैम्प बुढ़ार जिला शहडोल को आवंटित बिक्रम कोयला खदान वनभूमि रकवा 142.075 हे0 राजस्व वनभूमि रकवा 9.020 हे0 कुल प्रस्तावित वनभूमि रकवा 151.095 हे0 वन परिक्षेत्र बुढ़ार का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 30.07.2021 को उप वनमण्डलाधिकारी जैतपुर, वन परिक्षेत्राधिकारी बुढ़ार एवं संबंधित वन स्टाफ तथा में0 बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत असिस्टेन्ट मैनेजर श्री आशीष तिवारी के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया विवरण निम्नानुसार है :-

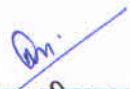
क्र0	विशेष	वनमण्डलाधिकारी/मुख्य वनसंरक्षक द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट					
1	सीमा हेक्टेयर	151.095 हे0 वनभूमि					
2	वनभूमि के स्थान (अक्षांश देशांश डायवर्जन के लिये प्रस्ताव रखा।	1	23°11'23.69152"	81°29'19.63380"			
		2	23°11'05.50133"	81°29'21.18683"			
		3	23°11'06.33627"	81°29'54.43232"			
		4	23°11'26.35812"	81°29'48.31551"			
		5	23°11'06.47787"	81°30'01.72106"			
		6	23°11'08.04864"	81°30'50.32957"			
		7	23°11'30.12656"	81°30'48.44284"			
		8	23°11'25.40493"	81°29'59.32335"			
3	वनभूमि (संरक्षित वन/आरक्षित वन/राजस्व वनभूमि या किसी भी अन्य वनभूमि) की कानूनी स्थिति।	परिक्षेत्र	ग्राम	कक्ष क्रमांक	आवेदित रकवा (हे0)	राजस्व वनभूमि रकवा (हे0)	योग रकवा (हे0)
		बुढ़ार	गोपालपुर	RF 827	50.835	3.514	54.349
		—''—	बरतरा	RF 828	91.240	5.506	96.746
		Total:-			142.075	9.020	151.095
4	आस्थायी केन्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन।	आवेदक संस्थान एवं वन कर्मचारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया है।					
5	अतिक्रमण का कोई भी लक्षण।	आवेदित स्थल में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है।					
6	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि या उससे सटे गैर वनभूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा कर लिया गया हो तो वनसंरक्षक अधिनियम के दिशा निर्देशों के तहत उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ता एजेन्सी के खिलाफ की गयी कार्यवाही का विवरण।	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि में कोई अवैध कार्य नहीं किया गया है।					

7	वनस्पति की स्थिति साईट की गुणवत्ता/प्रजाति संरचना आदि।	प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार वन परिक्षेत्र बुद्धार के कक्ष क्रमांक आर.एफ.-827 बिगड़े वनों का पुर्नस्थापना कार्यवृत्त एवं आर.एफ. 828 सुधार कार्य कार्यवृत्त क्षेत्र है स्थल गुणवत्ता IVb जिसका घनत्व 0.2 से 0.5 तक है।
8	वन्य जीवन की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्यजीवन की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों, पक्षी जीवन सरीसृप, तितलियों, और अन्य अनूसूचित वन्यप्राणी किसी भी लुप्त प्रायः वन्यजीवों की बहुतायत की स्थिति इस क्षेत्र में वन्य जीवन की नवीनतम गणना।	मुख्य रूप से वन्यप्राणी हिरण, जंगली सुअर, लोमड़ी सियार एवं बन्दर पाये जाते हैं। यदाकदा चिंकारा बिचरण करते पाए जाते हैं।
9	वनस्पति, पशुवर्ग या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र की स्थानिकता।	निरंक
10	वर्तमान भूमि उपयोग। इस क्षेत्र में कार्य करने में कामयाब रहे तो कार्य आयोजना के नुस्खे यदि नहीं, क्यों ?	वर्तमान कार्य आयोजना में श्री टी0एस0 चतुर्वेदी भा0व0से0 मुख्य वनसंरक्षक कार्य आयोजना कार्य अवधि 2018-19 2027-28 के अनुसार बिगड़े वनों का पुर्नस्थापना कार्यवृत्त एवं सुधार कार्यवृत्त के अन्तर्गत सम्मिलित है।
11	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का महत्व।	निरंक
12	इस जमीन पर किसी भी व्यक्तियों/परिवार का निर्भरता।	नहीं
13	व्यक्तियों के विस्थापन का प्रस्ताव।	नहीं
14	वहाँ किसी भी पुर्नवास और पुर्नस्थापन की योजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिये है ? वहाँ विस्थापित करने के लिये, प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी भी असहमति आवाज है ?	नहीं
15	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वनभूमि या गैर वनभूमि पर है। वृक्षारोपण के लिये क्षेत्र की उपयुक्ता का स्थान अगर बिगड़े वन भूमि में है तो वर्तमान कार्य आयोजना के अनुसार विवरण गैर वनभूमि है तो, नजदीक वनक्षेत्र से दूरी। मामला क्षेत्र में पैच की संख्या से अधिक किलो मीटर दूर करने के लिये किया जाना चाहिये।	उपरोक्त परियोजना में प्रभावित वनभूमि रकवा 151.095 हे0 में से ऊपरितल खनन हेतु रकवा 114.372 हे0 के ऐवज में गैर वनभूमि/निजी राजस्व भूमि में रकवा 114.617 हे0 वनमण्डल 40 शहडोल, वनमण्डल सा0 रीवा, वनमण्डल उ0 सागर में 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार की गई है। प्रस्ताव में संलग्न है। वनक्षेत्र से लगा हुआ है। वनमण्डलवार 3 पैच में योजना है।
16	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिये। इसके आलावा नजदीकी के संरक्षित क्षेत्र की दूरी 10 कि0मी0 की दूरी पर होना चाहिये।	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है संरक्षित क्षेत्र की दूरी 54 कि.मी. पर है।
17	इस क्षेत्र में जनजाति की निर्भरता चाहे आदिवासी के अधिकार के लिये इस क्षेत्र में मान्यता दी गयी है।	प्रस्तावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों को वन अधिकार पत्र नहीं दिए गये हैं। आवेदित क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चयन की कार्यवाही पूर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र कलेक्टर जिला शहडोल द्वारा दिया गया है। प्रस्ताव में संलग्न है।

18	परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता।	उपरोक्त परियोजना स्वीकृति से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने/सामाजिक आर्थिक सुधार होगा।
19	नवीनीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत के आदेश में निर्धारित की गयी समस्त शर्तों का पालन किया गया है, या नहीं।	प्रकरण नवीनीकरण का नहीं है।
20	गैर-साईट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा जांच विकल्प।	निरंक।
21	वनभूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिये अनुरोध किया है। उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा इसका प्रमाण-पत्र।	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा मांग की गई वनभूमि न्यूनतम है। उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न है।
22	वनभूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुये पेड़ वृद्धि को बचाने की कोई गुंजाईश।	उपरोक्त परियोजना में मिश्रित प्रजाति के 7332 नग वृक्ष है साईजवार प्रजातिवार वृक्षों की सूची संलग्न है।
23	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे।	निरंक
24	परियोजना के अनुमोदन के लिये कारण के साथ वनमण्डलाधिकारी की विशिष्ट सिफारिशें।	ऊर्जा की आवश्यकता को देखते हुए परियोजना बिक्रम कोयला खदान भूमिगत एवं ऊपरितल खनन हेतु वनभूमि रकवा 142.075 हे० एवं राजस्व वनभूमि रकवा 9.020 हे० कुल रकवा 151.095 हे० व्यपवर्तन हेतु अनुशंसा की जाती है।

स्थान :- शहडोल

दिनांक :- 30/7/2021


 (नेहल श्रीवास्तव)
 (भा.व.से.)
 वनमण्डलाधिकारी
 वनमण्डल दक्षिण शहडोल